

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3135/2025

मोहम्मद युसुफ

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस उप आयुक्त, मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, चयन बोर्ड के सदस्य सचिव।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2025

आदेश की दिनांक : 01.07.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सत्यपाल पोषवाल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर सीआईडी (सीबी) अन्वेषण अनुभाग, जयपुर रेंज, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत निरीक्षक के कुल 127 रिक्त पदों पर पुलिस उप निरीक्षक के पद से पुलिस निरीक्षक (एपी/सीपी) के पद पर विभागीय पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए

एक परिपत्र जारी किया। पात्र होने के कारण अपीलार्थी ने इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया। आदेश दिनांक 10.02.2025 को प्रत्यर्थी विभाग ने उचित जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची/वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 7 पर पाया गया। अपीलार्थी ने उप निरीक्षक से निरीक्षक (एपी/सीपी) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता परीक्षा दी थी, जो दिनांक 22.03.2025 और 23.03.2025 को आरपीए, जयपुर में आयोजित की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 06.04.2025 के द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले योग्य उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, जो दिनांक 22.03.2025 और 23.03.2025 को आयोजित की गई थी। उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था। लिखित परीक्षा में अपीलार्थी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नति के लिए नहीं चुना गया। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी, जिसमें ओएमआर शीट भी शामिल है। उनका यह भी कथन है कि सूची दिनांक 06.04.2025 से स्पष्ट है कि लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयन हेतु वरिष्ठ थे, उन्हें पात्र घोषित नहीं किया गया और जो वरिष्ठता में कनिष्ठ थे, उन्हें लिखित परीक्षा में पात्र घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह मनमाना कृत्य प्रकट होता है, जो नियम विरुद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्तमान मामले में लिखित परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं की गई और उसकी उत्तर-पुस्तिकाओं की अनुचित जाँच के कारण अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए अपीलार्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। कई अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की हैं और माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को उन अभ्यर्थियों की कॉपी फिर से जाँचने का निर्देश दिया है और दोबारा जाँच में, कई अभ्यर्थियों ने दिए गए अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8429/2021, राजबीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 को निर्णित हुई, माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को दो महीने की अवधि के भीतर बोर्ड/समिति द्वारा याचिकाकर्ता की उत्तर प्रति फिर से जाँचने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया है। इसी तरह एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12147/2024, रामपाल यादव और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य और एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12148/2024, तारा चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की

फिर से जांच करने और उस रिट याचिकाओं में अपीलार्थी के परिणाम को तुरंत फिर से घोषित करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने पहले परिपत्र/पत्र दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी अंक देने के संबंध में कोई आपत्ति उठाता है, तो उसकी आपत्ति का तुरंत निर्णय लिया जाएगा और अभ्यर्थी को चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्णय के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को उप निरीक्षक के पद से निरीक्षक (एपी/सीपी) के पद पर पदोन्नति के लिये योग्यता लिखित परीक्षा के लिए अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने का निर्देश दिया जावे और यदि अपीलार्थी उक्त परीक्षा में पात्र पाया जाता है तो उसे अग्रिम पदोन्नति पुलिस निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2021-22 के विरुद्ध प्रदान करते हुये समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए असफल अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन/अभ्यावेदन पर, उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच करवाई गई। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 06.04.2025 का परिणाम उचित है और परिणाम में कोई बदलाव नहीं पाया गया है। उक्त परिणाम के बारे में सूचना पुलिस उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 02.05.2025 द्वारा दिया गया है। पुलिस निरीक्षक के पदोन्नति पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई है। पदोन्नति देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का कार्य आदेश दिनांक 07.05.2025 द्वारा किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर विभागीय परीक्षा में वर्ष 2021-22 की रिक्तियों हेतु पदोन्नति परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 06.04.2025 द्वारा लिखित

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले योग्य अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की, जो दिनांक 22.03.2025 और 23.03.2025 को आयोजित की गई थी। उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था। अपीलार्थी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता रखता है। लेकिन अपीलार्थी को लिखित परीक्षा में असफल रहने से पदोन्नति के लिए नहीं चुना गया। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी विभाग से लिखित परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। कई अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की हैं और माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को उन अभ्यर्थियों की कॉपी फिर से जाँचने का निर्देश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12147/2024 रामपाल यादव और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12148/2024 तारा चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने और उन रिट याचिकाओं में अपीलार्थी के परिणाम को तुरंत फिर से घोषित करने का निर्देश दिया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश देना समीचीन समझते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग नये बोर्ड का गठन कर एक माह की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने की कार्यवाही सम्पादित करे एवं अपीलार्थी उत्तीर्ण पाये जाने की दशा में उसको पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष